

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 519]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 सितम्बर 2017—आश्विन 3, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2017

क्र. एफ-2-1-2008-एक-13.—राज्य सरकार, एतद्वारा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 में निम्न संशोधन करती है:—

#### संशोधन

1. उक्त नियमों में नियम 5 (1) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्:—

“ऐसे व्यक्ति जो मीसा/डी.आई.आर. के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से एक माह से कम कालावधि के लिए निरूद्ध रहे हों, उन्हें रुपये 8000/- (रुपये आठ हजार केवल) प्रतिमाह तथा ऐसे व्यक्ति जो एक माह या एक माह से अधिक की कालावधि के लिए निरूद्ध रहे हों, उन्हें रुपये 25000/- (रुपये पच्चीस हजार केवल) प्रतिमाह की दर से सम्मान निधि की पात्रता होगी.”

2. उक्त नियमों में नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्:—

“इन नियमों के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से दिनांक 30-11-2017 तक ऐसे पात्र व्यक्ति जो मीसा/डी.आई.आर. के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से एक माह से कम कालावधि के लिए निरूद्ध रहे हों, को आवेदन प्रस्तुत करना होगा.”

3. उक्त नियमों में नियम 4.1 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से विलोपित किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, अतिरिक्त सचिव.